सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 14, शुक्रवार, *शाके* 1945-अक्टूबर 06, 2023 *Asvina 14, Friday , Saka 1945- October 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2023

संख्या: 11/भू.अ./ज.स./2023/2291-2295:- चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ **Upper High Level Canal Project** के अन्तर्गत तहसील बांसवाड़ा, बागीदौरा, सज्जनगढ, कुशलगढ, आनंदपुरी एंव गांगड़तलाई के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013** की धारा-**4(1)** एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, **2016** के प्रावधानों के अनुसरण में संलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, **2016** के नियम **6(8)** की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, अपर हाई लेवल केनाल परियोजना खण्ड, प्रथम बांसवाड़ा/अपर हाई लेवल केनाल परियोजना खण्ड, द्वितीय बागीदौरा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013** की धारा **3 (**जी) एंव राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक **1(51) Rev-6/2014/31** दिनांक **28.08.2015** के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा/ कुशलगढ/ सज्जनगढ/ बागीदौरा होगे।

विवरण

अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अन्तर्गत निर्माण में अवाप्त की जाने वाली भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम - 2013 की धारा - 4 (1) की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव जिला बांसवाडा

क्र स	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	अपर हाई लेवल केनाल	कुण्डला कला	कुण्डला	बासंवाडा	बांसवाडा	उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा
2		फतेहपुरा	कुण्डला			
3		कडेलिया	कडेलिया			
4		सिंगपुरा	कडेलिया			

5		समाईपुरा	कडेलिया			
6		भापोर	भापोर			
7		टुटीयाबैर	भापोर			
8		नवागांव	नवागांव			
9		डामरवासा	नवागांव			
10		गणाउ	गणाउ			
11		झूपेल	झूपेल			
12		सामरिया	सामरिया			
13	अपर हाई	खोपाडा	मंगलिया दईडा	बागीदौरा	बांसवाडा	उपखण्ड
14	लेवल	मंगलिया दईडा	मंगलिया दईडा			अधिकारी
15	केनाल	तेलिया दईडा	मंगलिया दईडा			बागीदौरा
16		बारीगामा	बारीगामा			
17		सेवना	बुडवा			
18		बुडवा	बुडवा			
19		हमिरपुरा	पिपलोद			
20		घाटीगडा	नागावाडा			
21		भोयन	नागावाडा			
22		ढेबरी देवा	नाल			
23		ढेबरी कालु	नाल			
24		नाल	नाल			
25		धोलाखेरया	नाल			
26	अपर हाई	बाला सिन्दुर	बिलडी	सज्जनगढ	बांसवाडा	उपखण्ड
27	लेवल	बिलडी	बिलडी			अधिकारी
28	केनाल	बिछावाडा	बिलडी			सज्जनगढ
29		धाडकी	बिलडी			
30	अपर हाई	चरकनी	चरकनी	कुशलगढ	बांसवाडा	उपखण्ड
31	लेवल	संदलाई	चरकनी			अधिकारी
32	केनाल	चारण की गडली	चरकनी			कुशलगढ
33		मुलीपाडा	टिमेडा बडा			
34		पाटापोर	अन्देश्वर	सज्जनगढ	बांसवाडा	उपखण्ड

35		अन्देश्वर	अन्देश्वर			अधिकारी सज्जनगढ
36		माछा				
37		ईटाला	ईटाला			
38		सागवा	सागवा			
39		भूरीघाटी	गोदावाडा नारेग			
40		बीजलपुर हालिया	गोदावाडा नारेग			
41		अगोरिया	टाण्डा रतना			
42		टाण्डा रतना	टाण्डा रतना			
43		भाटवडला	सज्जनगढ			
44		राठधनराज	राठधनराज			
45		रोहनिया रामसिंह	रोहनिया लक्ष्मणसिंह			
46		रोहनिया लक्ष्मणसिंह	रोहनिया लक्ष्मणसिंह			
47		बेडाउ धुलिया	रोहनिया लक्ष्मणसिंह			
48		झकोडिया नाथा	रोहनिया लक्ष्मणसिंह			
49		खुन्दनी हाला	खुन्दनी हाला			
50		गणेशपुरा	खुन्दनी हाला			
51		सामलासेर	खुन्दनी हाला			
52		महुडियानाथा	खुन्दनी हाला			
53		लंकाई	लंकाई	गांगडतलाई	बांसवाडा	उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा
54		खुटाविरजी	खुटाविरजी			
55		कुपडी	जाम्बडी			
56		झांझरवाकला	झांझरवाकला			
57		गदेडिया	चरकनी			
58		गांगडतलाई जुनी	चरकनी			
59		गांगडतलाई	गांगडतलाई			
60		छलाका तलाई	छलाका तलाई			

61		गमनिया हमिरा	गमनिया हमिरा			
62		गमिरपुरा	छलाका तलाई			
63		भुरा टेम्बा बडा	भुरा टेम्बा बडा			
64		खुटीबिजिया	गमनिया हमिरा			
65		रोहनवाडी	रोहनवाडी			
66		खरसाणा	रोहनवाडी			
67		रातनपुरा की टोरी	रोहनवाडी			
68		रोहनीया	रोहनीया			

फार्म 2

(देखे नियम - 5)

पार्ट - B

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा

(क)	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता अपर हाई लेवल केनाल परियोजना खण्ड - प्रथम बांसवाडा एवं द्वितीय बागीदौरा
	परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	अपर हाई लेवल केनाल परियोजना के अन्तर्गत बांसवाडा, सज्जनगढ, बागीदौरा, गांगडतलाई, कुशलगढ तहसील के जिला बांसवाडा योजनान्तर्गत कुल क्षेत्रफल 316.89 हैक्टयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्धेश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दे ।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई ।
(ग)	यदि ग्राम सभा और / या भू स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बरे में कथन किया जाना होगा	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नही है ।

(घ(	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना) विनिर्दिष्ट किए जाने होंगें	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार ।
(ड)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अक़त और शून्य हो जाएगी	हॉ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबधी जानकारी	अधिशाषी अभियन्ता अपर हाई लेवल केनाल परियोजना खण्ड - प्रथम बांसवाडा एवं द्वितीय बागीदौरा

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।